

26/7/19

अपीलांत द्वारा प्राप्त अपील के अन्तर्गत  
व्यक्ति सूचना SDO सुमेरपुर से सम्बन्धित  
होने से उनके विरुद्ध जयि पत्रांक 17-6-19  
के द्वारा प्रेषित कर अपील के स्वयं स्वीकृत  
प्रति द्वारा प्रकृत फाई 5/2/19 को पेश  
किया था। उपर्युक्त अपीलकारी सुमेरपुर द्वारा  
भी व्यक्ति सूचना सांठिक उपलब्ध नहीं  
करते हैं। उपर्युक्त अपीलकारी सुमेरपुर  
को पत्र लिखा जाकर पत्रावली दि. 7/8/19  
को पेश है।

जिला कलेक्टर, बाली

7-8-19 पत्रावली काज पेश हुई।

लोक सूचना अधिनियम 2005 के प्रावधानों  
को लिखा गया पत्र पत्रावली के ही पत्र है प्रेषित  
नहीं किया है बल्कि जाकर पत्रावली दिनांक  
21-8-19 को पेश है।

1234-31  
8/8/19

जिला कलेक्टर, बाली

21/8/19 श्रीमान कलेक्टर को सूचना कार्य में व्यस्त हैं पेशी  
इत्तवा होकर पत्रावली दिनांक 30/8/19 को पेश हो।

30/8/19 पत्रावली काज पेश हुई।

अपीलांत द्वारा यह अपील अन्तर्गत द्वारा  
19(1) के सूचना के अधिनियम अधिनियम 2005 के प्रावधानों  
का लोक सूचना अधिनियम अधिनियम 2005 के प्रावधानों  
को उपलब्ध नहीं करते पर प्राप्त का उक्त सूचना  
उपलब्ध करते हेतु निवेदन किया गया है।

उक्त सूचना SDO सुमेरपुर से सम्बन्धित  
होने से उनके प्रेषित की गई थी इसलिए उनके ही द्वारा  
सूचना उपलब्ध करवा जानी थी उनके अपने पत्रावली दि. 17-6-19  
राजसा 2019) 557 दि. 7-8-19 के द्वारा लोक सूचना अधिनियम  
को सूचना उपलब्ध करा दिए और वाक्य लिखे पत्रावली दि. 17-6-19  
करते हुए लोक सूचना अधिनियम अधिनियम 2005 के प्रावधानों  
तथा ADM बाली लोक सूचना अधिनियम अधिनियम 2005 के प्रावधानों  
1412 दि. 14-8-2019 के सूचना प्रार्थी को प्रेषित कर दी है।  
पत्र की प्रति इस अफिस को भी प्रेषित की है।

व्यक्ति सूचना प्रार्थी को प्रेषित कर दिए जो संभव  
अपील के संकेत के बाद कार्यवाही को प्रेषित नहीं रह जाती है।

अतः पत्रावली इस अफिस से वापस की जाकर  
सुमेरपुर को भेजा गया है।

जिला कलेक्टर, बाली